[2023] 12 एस. सी. आर 556: 2023 आई.एन.एस.सी. 853

वाद विवरण

स्वीटी कुमारी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2023 की दीवानी अपील संख्या 6072)

22 सितंबर, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्तिगण]

निर्णय-सार

विचार के लिए विषयः क्या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण अपीलकर्ताओं की अभ्यर्थिता को अस्वीकृत किया जाना न्यायसंगत है तथा अपीलकर्ताओं को क्या अनुतोष प्रदान की जा सकती है।

बिहार असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 — नियम 7(ख), 9 — साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना — अभ्यर्थिता का अस्वीकृत किया जाना — अस्वीकार्य:

अभिनिर्धारित — नियमों की भाषा से स्पष्ट है कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं, बल्कि निर्देशात्मक था- यह नियम 9 के द्वितीय टिप्पणी की भाषा से स्पष्ट है, जिसमें "आयोग के समक्ष मौखिक परीक्षा के समय मूल प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है" शब्दों का प्रयोग किया गया है- अतिरिक्त रूप से, विज्ञापन के अनुसार भी, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक था, किन्तु उनका

प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं था- पात्रता का तथ्य तथा उसके प्रमाण का तथ्य, दोनों भिन्न हैं- यदि कोई व्यक्ति वास्तविक चयन की तिथि से पूर्व पात्रता रखता है, तो केवल इस आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका प्रमाण बाद में प्रस्तुत किया गया- वर्तमान वाद में, प्रमाण उपलब्ध था तथा सत्य प्रतिलिपियाँ अभिलेख पर थीं- अतः केवल इस आधार पर कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, अपीलकर्ताओं की अभ्यर्थिता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था, विशेषतः तब जबकि ऐसी अपेक्षा अनिवार्य नहीं थी- अतिरिक्त रूप से, अपीलकर्ताओं का वाद *आरव जैन* तथा अन्य सात अभ्यर्थियों के समान है, जिन्हें इस न्यायालय के दिनांक 23.05.2022 के निर्णय, *आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य*, दीवानी अपील संख्या 4242/2022 के अनुपालन में नियुक्त किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह लिया गया तर्क स्वीकार नहीं किया था कि मूल प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर ऐसे प्रमाणपत्र विद्यमान थे- अतः आरव जैन तथा अन्य सात अभ्यर्थियों के समान, इन दोनों अपीलकर्ताओं को समान लाभ प्रदान करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है- केवल इस आधार पर कि 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता- इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 16749/2023 में, अपीलकर्ता ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया और 501 अंक प्राप्त किए, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कट-ऑफ 499 था। अतः उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में अथवा आगामी परीक्षा से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एक रिक्ति का समायोजन कर, *आरव जैन* के निर्णय के अनुपात में, उक्त अपीलकर्ता को समान लाभ प्रदान किया जाए- आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाता है। यह निर्णय वाद के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में पारित किया गया है। (कंडिकायें 14, 16-19, 22, 24, 27-29)

उद्धरणों तथा अन्य संदर्भों की सूची

आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य, दीवानी अपील संख्या 4242/2022; *चार्ल्स के. स्कारिया एवं अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू एवं अन्य* (1980) 2 एससीसी 752 : [1980] 3 एससीआर 71 — अवलंबित।

अन्य वाद विवरण जिनमें आक्षेपित आदेश और उपस्थितियाँ शामिल हैं

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील संख्या 6072/2023।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 18038/2021 में दिनांक 03.11.2021 को पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत।

के साथ

दीवानी अपील संख्या 6073 एवं 6074/2023।

उपस्थिति :

राधेश्याम शर्मा, दिव्यांशु पांडेय, हरीश पांडेय, मुकेश कुमार, मधुप कुमार तिवारी, राजेश कुमार, बृजेश कुमार, सुश्री नेहा राय, कृष्ण कुमार सिंह, मृदुल चक्रवर्ती, तुषार श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार पांडेय, आदित्य सिंह-1, रमण कुमार सिंह — अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

अजमत हयात अमानुल्लाह, टी. जी. शाही, नवीन प्रकाश, गौरव अग्रवाल — उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

जे. के. माहेश्वरी, न्यायमूर्ति।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान तीनों अपीलों में पटना उच्च न्यायालय (जिसे आगे "**उच्च न्यायालय**" कहा गया है) द्वारा स्वीटी कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 18038/2021) दिनांक 03.11.2021; विक्रमादित्य मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 3707/2020) दिनांक 04.09.2021; तथा अदिति बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं अन्य (दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 15325/2022) दिनांक 19.04.2023 में पारित निर्णयों को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णयों द्वारा उच्च न्यायालय ने आधिकारिक उत्तरदाताओं के निर्णय को यथावत् रखा। अपीलकर्ताओं की अभ्यर्थिता आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा क्रमशः मूल चरित्र प्रमाणपत्र (स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा के वाद में) तथा विधि उपाधि (अदिति के वाद में) प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर अस्वीकृत कर दी गई।

3. उच्च न्यायालय ने प्रथम दो मामलों में, समान स्थिति वाले अभ्यर्थी आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य (दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 24282/2019) दिनांक 04.05.2021 में पारित आदेश पर आश्रित रहते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। जबकि तृतीय वाद में, अपीलकर्ता अदिति तथा समान रूप से स्थित एक अन्य अभ्यर्थी अंकिता के वाद पर एक साथ विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि अपीलकर्ता अदिति का वाद गुण-दोष के आधार पर अंकिता के समान है, तथापि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रिक्ति के अभाव के कारण अंकिता को प्रदत्त अनुतोष अपीलकर्ता अदिति को प्रदान नहीं की जा सकती।

4. अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी, जो अनुसूचित जाति वर्ग की अभ्यर्थी हैं, तथा विक्रमादित्य मिश्रा, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ने असैनिक न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के चयन हेतु आयोजित 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (जिसे आगे "**30वीं परीक्षा**" कहा गया है) में भाग लिया, जो विज्ञापन संख्या 6/2018 दिनांकित 21.08.2018/23.08.2018 के अंतर्गत आयोजित की गई थी। दोनों अभ्यर्थियों को दिनांक

07.01.2019 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में तथा दिनांक 05.10.2019 को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम में अपने-अपने वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण सफल घोषित किया गया। तत्पश्चात उन्हें दिनांक 15.12.2019 के पत्र द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

5. अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी तथा विक्रमादित्य मिश्रा की अभ्यर्थिता साक्षात्कार के समय मूल चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत कर दी गई, जबकि सत्य प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई थीं। तथापि, दिनांक 27.11.2019/29.11.2019 को परिणाम घोषित करते समय, वर्तमान दोनों अपीलकर्ताओं तथा एक अन्य अभ्यर्थी आरव जैन की अभ्यर्थिता एक समान संप्रेषण द्वारा अस्वीकृत कर दी गई।

6. दूसरी ओर, अपीलकर्ता अदिति ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (जिसे आगे "**31वीं परीक्षा**" कहा गया है) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन किया। उसने 501 अंक प्राप्त किए, जबकि कट-ऑफ 499 था। उसकी अभ्यर्थिता साक्षात्कार की तिथि पर विधि उपाधि प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर अस्वीकृत कर दी गई। समान रूप से स्थित अभ्यर्थी अंकिता की अभ्यर्थिता भी इसी आधार पर निरस्त की गई थी। तथापि, पृथक रिट याचिकाओं के दाखिल होने पर, जिन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया गया, अंकिता को अनुसूचित जाति वर्ग में रिक्ति उपलब्ध होने के कारण अनुतोष प्रदान की गई, जबकि अदिति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रिक्ति के अभाव के कारण अनुतोष से वंचित कर दिया गया।

7. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, हमारे विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं—

(i) क्या बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे आगे "**बिहार लोक सेवा आयोग**" कहा जाएगा) द्वारा साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के आधार

पर अपीलकर्ताओं की अभ्यर्थिता का अस्वीकृत किया जाना न्यायसंगत है?

(ii) वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं को क्या अनुतोष प्रदान की जा सकती है?

8. वाद के निर्विवाद तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2018/23.08.2018 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 6/2018 के अंतर्गत 349 रिक्तियों को भरने हेतु आयोजित 30वीं परीक्षा में भाग लिया। उक्त विज्ञापन बिहार दीवानी सेवा (न्यायिक शाखा) भर्ती नियमावली, 1955 (जिसे आगे "**नियमावली**" कहा गया है) के अधीन जारी किया गया था। अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया, जबकि अपीलकर्ता विक्रमादित्य मिश्रा ने सामान्य वर्ग में आवेदन किया। आरव जैन सहित अन्य सात अभ्यर्थियों ने भी क्रमशः सामान्य, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग में आवेदन किया था। उनकी अभ्यर्थिता भी समान आधारों पर अस्वीकृत कर दी गई थी। उक्त अस्वीकृति को चुनौती देने पर, उच्च न्यायालय ने दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 24282/2019 शिर्षक के तहत 'आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य' में विस्तृत आदेश पारित करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अस्वीकृति को यथावत् रखा।

9. दिनांक 03.11.2021 एवं 04.09.2021 के आक्षेपित आदेशों द्वारा, क्रमशः स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिकाओं को, आरव जैन के वाद में दिनांक 04.05.2021 को पारित निर्णय पर आश्रित रहते हुए, निरस्त कर दिया गया।

10. आरव जैन तथा अन्य सात समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील संख्या 4242/2022, ***आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य***, में याचिकाएँ दायर कीं, जिनका निर्णय दिनांक 23.05.2022 के एक सामान्य निर्णय

द्वारा किया गया। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग के उस तर्क को अस्वीकार कर दिया, जिसके अनुसार साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थिता निरस्त की गई थी, जबकि अभिलेख पर उनकी सत्य प्रतिलिपियाँ उपलब्ध थीं और बाद में मूल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर दिए गए थे। इस न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना न तो योग्यता से संबंधित है और न ही पात्रता से, तथा परिवीक्षा के दौरान राज्य द्वारा सत्यापन एवं सतर्कता प्रतिवेदन प्राप्त किया ही जाता है। अतः मूल प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य शर्त नहीं था। बिहार लोक सेवा आयोग का यह दृष्टिकोण उन अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराने का कारण बना, जो अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित थे। इस प्रकार, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह निर्णय दिया गया कि अभ्यर्थिता का अस्वीकृत किया जाना अनुचित, अन्यायपूर्ण तथा अवांछनीय था।

11. इस न्यायालय ने ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के वाद में आठों अभ्यर्थियों को अनुतोष प्रदान करते हुए, सामान्य वर्ग में उपलब्ध पाँच रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन किया तथा अन्य तीन अभ्यर्थियों, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे, के संबंध में राज्य को निर्देश दिया कि उन्हें भविष्य की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाए अथवा राज्य को यह अनुमति दी गई कि वह भविष्य की रिक्तियों में से तीन पद, प्रत्येक संबंधित वर्ग के लिए एक-एक, उधार ले। यह भी प्रतिपादित किया गया कि उक्त विज्ञापन की रिक्तियों में परिवर्तन करने की शक्ति नियोक्ता को, राज्य के विवेक एवं समझ के अधीन, सदैव निहित रहती है। इस न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया कि सभी अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार ऐसे मेधावी अभ्यर्थी संस्था के लिए संपत्ति सिद्ध होंगे तथा वादों के निस्तारण में सहायक होंगे। इस न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि इन सभी आठों अभ्यर्थियों को, उनकी मेधा के अनुसार चयनित अन्य अभ्यर्थियों के समान वेतनवृद्धि और अन्य सांकेतिक लाभ बिना वेतन के

बकाए के दिए जाएं।

12. उक्त अपील में ज्योति जोशी द्वारा हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 7751/2020 में दिनांक 09.02.2022 को पारित निर्णय के अनुपालन में अपनी नियुक्ति हेतु निर्देश की प्रार्थना की, तथा यह स्पष्टीकरण भी चाहा कि ***आरव जैन (उपरोक्त)*** वाद में दिनांक 23.07.2021 का अंतरिम आदेश उनकी नियुक्ति में बाधक नहीं है। इस न्यायालय ने उक्त हस्तक्षेप आवेदन को ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया तथा उन्हें लाभ देने से इंकार किया, क्योंकि वे मेधा सूची में न होकर प्रतीक्षा सूची में थीं। इसके अतिरिक्त, ***आरव जैन (उपरोक्त)*** वाद में दिनांक 23.02.2021, 08.10.2021 तथा 07.02.2022 को पारित अंतरिम आदेश, जिनमें पदों को रिक्त रखने का निर्देश दिया गया था, समय में पूर्ववर्ती होने के बावजूद, दिनांक 09.02.2022 के अंतिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए थे। यह स्पष्ट है कि ***आरव जैन (उपरोक्त)*** वाद में दायर दीवानी अपीलों का निर्णय अभ्यर्थियों के पक्ष में तथा नियोक्ता के विरुद्ध किया गया, और उक्त आदेश का अनुपालन भी किया जा चुका है।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा बिहार दीवानी सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (जिसे आगे "**नियमावली**" कहा गया है) तथा विज्ञापन संख्या 6/2018 का अवलोकन किया। नियम 7(ख) के अनुसार अभ्यर्थी को बिहार लोक सेवा आयोग को यह संतुष्ट करना होता है कि उसका चरित्र सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त है। नियम 9 में यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा; उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से चरित्र प्रमाणपत्र, जहाँ उसने अध्ययन किया है; दो परिचित व्यक्तियों का संदर्भ; निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सक का प्रमाणपत्र; तथा संबंधित प्राधिकारी से अभ्यास की अवधि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियम 9 की द्वितीय टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों की सत्य

प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए, और प्रत्येक को राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस प्रमाण के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए कि मूल को देखकर उसकी सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित की गई है। अभ्यर्थी को *मौखिक* परीक्षा के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

14. नियमावली की उक्त स्थिति के आलोक में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है कि अभ्यर्थी का चरित्र उत्तम होना चाहिए, जिससे वह बिहार लोक सेवा आयोग को संतुष्ट कर सके, और इसके लिए सत्य प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं तथा आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मूल प्रमाणपत्र *मौखिक* परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के पास चरित्र प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आवश्यकता पड़ने पर उसे साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त भाषा से यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं, बल्कि निर्देशात्मक है। यह नियम 9 के द्वतीय टिप्पणी की भाषा से स्पष्ट है, जिसमें "मौखिक परीक्षा के समय आयोग के सामने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है" शब्द का प्रयोग किया गया है।

15. नियमावली के अनुसरण में विज्ञापन संख्या 6/2018 जारी किया गया। उक्त विज्ञापन के खंड 7(ii) में ऑनलाइन आवेदन के संबंध में यह प्रावधान है कि आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी प्रविष्टि में त्रुटि के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसमें संशोधन अथवा परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। खंड 8(1) के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज आयोग की मांग पर साक्षात्कार के समय अथवा किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। खंड 9 के अनुसार, योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र अंतिम तिथि से पूर्व अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। खंड 10 के अनुसार, सभी प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं तथा आयोग को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में निर्णय ले, जो इन

निर्देशों का पालन नहीं करते। खंड 11 के अनुसार, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र भरते समय उसके पास सभी आवश्यक मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हों।

16. उपर्युक्त विभिन्न प्रावधानों के आलोक में, विज्ञापन के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक था, किन्तु उनका प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं था। साक्षात्कार पत्र के खंड 3 में यह उल्लेख अवश्य किया गया था कि अभ्यर्थी मूल प्रमाणपत्र, अंकपत्र एवं अन्य दस्तावेज, जिनमें चरित्र प्रमाणपत्र भी सम्मिलित है, तथा उनकी स्वप्रमाणित दो प्रतिलिपियों के साथ उपस्थित होंगे। अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी ने अपनी रिट याचिका एवं विशेष अनुमति याचिका में यह कथन किया है कि उनका मूल चरित्र प्रमाणपत्र राज्य बार परिषद के पास जमा था और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें उपलब्ध नहीं हो सका। दूसरी ओर, अपीलकर्ता विक्रमादित्य मिश्रा ने यह प्रतिपादित किया है कि उनके विधि महाविद्यालय द्वारा मूल चरित्र प्रमाणपत्र डाक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया गया था, जो दिनांक 25.11.2019 को प्रेषित हुआ और दिनांक 27.11.2019 को आयोग को प्राप्त हो गया। इसके बावजूद, उनके चरित्र प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न होने के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी गई।

17. ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के वाद में इस न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि मूल प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर ऐसे प्रमाणपत्र विद्यमान थे। इस न्यायालय का अभिमत था कि जब ऐसी शर्त अनिवार्य नहीं है, तब साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना, किसी ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, जो मेधा सूची में स्थान प्राप्त कर चुका है।

18. इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण ***चार्ल्स के. स्कारिया एवं अन्य बनाम***

डॉ. सी. मैथ्यू एवं अन्य (1980) 2 एससीसी 752 में प्रतिपादित सिद्धांत से पुष्ट होता है, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह प्रतिपादित किया कि पात्रता का तथ्य तथा उसके प्रमाण का तथ्य पृथक हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तविक चयन की तिथि से पूर्व आवश्यक पात्रता विद्यमान है, तो केवल इस आधार पर उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका प्रमाण बाद में प्रस्तुत किया गया।

19. वर्तमान वाद में, प्रमाण उपलब्ध था तथा सत्य प्रतिलिपियाँ अभिलेख पर थीं। अतः केवल इस आधार पर कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, अपीलकर्ताओं की अभ्यर्थिता अस्वीकृत नहीं की जा सकती थी, विशेषतः तब जब नियमावली की भाषा के अनुसार ऐसी अपेक्षा अनिवार्य नहीं थी।

20. अब विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 16749/2023 में अपीलकर्ता अदिति के वाद पर विचार किया जाए, तो यह तथ्य है कि उसने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, किन्तु उसे विधि उपाधि का प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.04.2023 के आक्षेपित आदेश में ***चार्ल्स के. स्कारिया (उपरोक्त)*** के निर्णय पर आश्रित रहते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि जब अभ्यर्थी के पास आवश्यक अनिवार्य योग्यता निर्धारित तिथि पर विद्यमान है, तब महामारी के कारण प्रमाणपत्र के विलंब से प्राप्त होने को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अनुतोष देने से इंकार कर दिया कि अपीलकर्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन किया था, जिसके लिए 23 पद निर्धारित थे और वे पद पहले ही भरे जा चुके थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि उसने 501 अंक प्राप्त किए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कट-ऑफ से 2 अंक अधिक थे, तथापि यह ज्ञात नहीं था कि उस वर्ग में अंतिम सफल अभ्यर्थी कौन है, और आक्षेपित आदेश पारित होने के समय तक सभी पद भरे जा चुके थे। इस प्रकार, पदों की अनुपलब्धता के कारण अनुतोष प्रदान नहीं की गई।

21. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में,

पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा बिहार राज्य एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत एक शपथपत्र दाखिल किया गया। उक्त शपथपत्र में यह स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा का वाद ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के वाद के समान है। उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी ने अनुसूचित जाति वर्ग में 414 अंक प्राप्त किए, जबकि कट-ऑफ 405 था, तथा अपीलकर्ता विक्रमादित्य मिश्रा ने सामान्य वर्ग में 543 अंक प्राप्त किए, जबकि उस वर्ग का कट-ऑफ 517 था। यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया कि 30वीं परीक्षा में कुल 349 रिक्तियाँ थीं, किन्तु इस न्यायालय के निर्देशों के पश्चात राज्य ने 351 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के एक-एक पद को भविष्य की रिक्तियों जो 32वीं परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित की जानी थीं से समायोजित किया गया।

22. अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से यह प्रस्तुत किया है कि वे 31वीं परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत चयनित होकर सेवा में नियुक्त हो चुकी हैं। उपर्युक्त विचार-विमर्श तथा महानिबंधक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी एवं अपीलकर्ता विक्रमादित्य मिश्रा का वाद ***आरव जैन (उपरोक्त)*** तथा अन्य सात अभ्यर्थियों के समान है, जिन्हें इस न्यायालय के दिनांक 23.05.2022 के निर्णय के अनुपालन में नियुक्त किया गया था।

23. ***आरव जैन (उपरोक्त)*** वाद के अपीलकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा 30वीं परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में वृद्धि करते हुए, अतिरिक्त रिक्तियाँ 32वीं परीक्षा से समायोजित कर नियुक्त किया गया था। 32वीं परीक्षा के लिए अधिसूचित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रचलित है। अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा के मामलों को उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 04.05.2021, *आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग* (दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 24282/2019) पर आश्रित रहते हुए निरस्त

कर दिया था। उक्त दिनांक 04.05.2021 के निर्णय को आरव जैन एवं अन्य सात अभ्यर्थियों द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर कर चुनौती दी गई, जिन्हें दीवानी अपीलों में परिवर्तित किया गया, और इस न्यायालय ने दिनांक 23.05.2022 के निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को अपास्त कर दिया।

24. अतः ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के वाद में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप, वर्तमान दोनों अपीलकर्ताओं को आरव जैन एवं अन्य सात अभ्यर्थियों के समान लाभ प्रदान करने से इंकार करने का कोई कारण नहीं है। हमारा विचार है कि केवल इस आधार पर कि 30वीं परीक्षा में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, वर्तमान दोनों अपीलकर्ताओं (स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा) के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता।

25. अब अपीलकर्ता अदिति के वाद पर, जो 31वीं परीक्षा से संबंधित है, विचार करते हुए, महानिबंधक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार यह स्पष्ट है कि विज्ञापित 221 रिक्तियों में से केवल 214 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई तथा शेष सात रिक्तियाँ 32वीं परीक्षा के लिए अग्रेषित कर दी गई हैं। अतः ऐसी रिक्तियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें अभी भरा जाना शेष है। चयन प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। बिहार राज्य तथा बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने, इस वाद की विशिष्ट परिस्थितियों में, निष्पक्ष रूप से यह प्रतिपादित किया है कि ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के निर्णय के आलोक में, वे अन्य अभ्यर्थी भी, जिन्होंने अपने-अपने वर्ग में कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, समायोजित किए जा सकते हैं। साथ ही, इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने पर, राज्य सरकार तीनों अभ्यर्थियों (स्वीटी कुमारी, विक्रमादित्य मिश्रा एवं अदिति) को, जिन्होंने अपने-अपने वर्ग में कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, समायोजित करने के लिए तत्पर है।

26. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, चूँकि स्वीटी कुमारी ने 414 अंक प्राप्त किए थे जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की कट-ऑफ 405 थी, तथा विक्रमादित्य मिश्रा ने सामान्य

वर्ग में 543 अंक प्राप्त किए थे जबकि कट-ऑफ 517 थी, और वे मेधावी अभ्यर्थी थे, अतः उन्हें ***आरव जैन (उपरोक्त)*** एवं अन्य के समान लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

27. अपीलकर्ता अदिति ने 31वीं परीक्षा में भाग लेकर 501 अंक प्राप्त किए, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कट-ऑफ 499 थी। अतः उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में अथवा आगामी परीक्षा से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एक रिक्ति का समायोजन कर, ***आरव जैन (उपरोक्त)*** के निर्णय के अनुपात में, अदिति को समान लाभ प्रदान किया जाए।

28. तदनुसार, दिनांकित 03.11.2021, 04.09.2021 तथा 19.04.2023 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता स्वीटी कुमारी एवं विक्रमादित्य मिश्रा को 30वीं परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के रूप में समायोजित किया जाए तथा अपीलकर्ता अदिति को 31वीं परीक्षा की सफल अभ्यर्थी के रूप में समायोजित किया जाए।

29. हम स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है, ताकि हमारे समक्ष उपस्थित उम्मीदवारों के साथ भेदभाव के आरोपों को कम किया जा सके, जिन्होंने समय रहते न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवार आगे इस लाभ का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे उचित समय के भीतर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

30. उपर्युक्त के आलोक में, अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निष्पादित माने जाएंगे। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

निर्णय-सार लेखन: **अपीलों की अनुमति दी गई।**

दिव्या पांडे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।